भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1317**

11.12.2023 को उत्तर के लिए

**परियोजनाओं को मंजूरी**

**1317. श्री डॉ.के जयकुमार :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी परियोजना को प्रदूषण और पर्यावरण मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी अलग से दी जा रही है; और

(ख) एक ही पत्राचार में किसी परियोजना का ऐसी मंजूरी न देने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**

**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) और (ख): जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना के साथ-साथ संचालन की अनुमति भी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) मंत्रालय या राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदान की जाती है। वन्यजीव स्वीकृति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अथवा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित अनुशंसित किया जाता है। चूंकि ये स्वीकृतियां केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न अधिनियमों और संबंधित नियमों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं और इनकी आवश्यकता, प्रक्रिया और समय-बद्धता भी अलग-अलग होती है इसलिए इनका अनुमोदन और प्रसारण भी अलग-अलग होता है। किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह वन स्वीकृति/ वन्यजीव स्वीकृति□□ जो भी लागू हो प्राप्त होने पर ही लागू हो सकेगी।

********